विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-23/14</u>

श्री पंचानन हलदर, — आवेदक
मुख्य प्रबंधक,
मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड,
विजयपुर, जिला – गुना (म0प्र0)
पिन कोड – 473112

विरूद्ध

(1) प्रबंध संचालक,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

(2) अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) – 473001 — अनावेदकगण

(3) कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
डिवीजन राधौगढ़, जिला – गुना (म.प्र.) – 473287

(4) वरिष्ठ लेखाधिकारी,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गुना (म.प्र.) – 473001

आदेश
(दिनांक 09.03.2015 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक C0033609/2009 श्री पंचानन हलदर, मुख्य प्रबंधक, मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड विरूद्ध नोडल आफिसर, म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, गुना एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2009 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक/उपभोक्ता को वर्ष 2002–03 से वर्ष 2006–07 की अवधि के लिए रू0 11472082/– का पूरक ऊर्जा देयक दिनांक 24.05.2008 को जारी किया गया था । उक्त पूरक देयक की वैधता को

आवेदक/उपभोक्ता की ओर से अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के समक्ष चुनौती दी गई थी । अनावेदक द्वारा उपभोक्ता की आपत्ति का निराकरण न किए जाने के कारण उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसे जारी किया गया प्रश्नगत् पूरक देयक अवैध है, अतः इस देयक में वर्णित राशि को अनावेदक उससे वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

3. अनावेदक ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 20 फरवरी, 2001 को कैप्टिव पॉवर नीति 2001 घोषित की गई थी, जिसके अनुसरण में उच्च दाब उपभोक्ता मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड, विजयपुर ने दिनांक 19.02.2002 को डी.जी. सेट स्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । माननीय विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2002 के द्वारा शर्तों के अधीन आवेदक को 9000 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी । आयोग की ऐसी अनुमति के बाद डी.जी. सेट स्थापित न करने की सूचना उपभोक्ता द्वारा आयोग को नहीं दी गई थी और ऐसी अनुमति को निरस्त करने या संशोधन करने का आवेदन भी पेश नहीं किया था, जिसके कारण आयोग द्वारा दी गई अनुमति प्रभावशील थी । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित 2 x 2.7 MW टी.जी. सेट्स तथा 1 x 1.35 MW डी.जी. सेट जिसका विवरण आयोग के प्रश्नगत आदेश में था, के संबंध में नियामक आयोग से संशोधित आदेश प्राप्त करना था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया था । भारतीय लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा अनावेदक के लेखों का अंकेक्षण किया गया था तथा आवेदक/उपभोक्ता द्वारा विद्युत नियामक आयोग की अनुमति दिनांक 14.05.02 में निहित तथ्यों का पालन न किए जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत् राशि की वसूली प्रस्तावित की थी, उक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि उपभोक्ता ने आयोग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में 9000 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित कर उसका उपयोग किया था इसी कारण क्षेत्रीय लेखाधिकारी, गुना द्वारा 24.05. 2008 को उसे जो पूरक ऊर्जा देयक जारी किया गया है वह विधिसंगत है और उसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है ।

4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत का निराकरण करते हुए यह निष्कर्ष दिया था कि उपभोक्ता ने विद्युत नियामक आयोग से जो अनुमति प्राप्त की थी उसके अनुसरण में उसे कुल उपभोग की गई विद्युत की मात्रा में से 50 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करना आवश्यक था उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, अतः ऐ0जी0 की आपत्ति के अनुसरण में जो देयक जारी किया गया है वह विधिसंगत है ।

5. फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम का आदेश विधिसंगत नहीं है । अनावेदक द्वारा अपने जवाब में फोरम में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही उपभोक्ता के अभ्यावेदन का विरोध किया गया है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :** क्या अनावेदक उपभोक्ता से रू0 11472082/– का पूरक ऊर्जा देयक वसूल पाने का अधिकारी है । ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

7. मुख्य तथ्य पर विचार किए जाने के पूर्व इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि फोरम के आदेश दिनांक 07.10.2009 के विरूद्ध उपभोक्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था अपितु उसने ऐसे आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक 5528/09 प्रस्तुत की थी । उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.07.14 तथा रिव्यू पिटीशन क्रमांक 322/14 में पारित आदेश दिनांक 09.09.14 के अनुसरण में यह अभ्यावेदन दिनांक 16.09.14 को प्रस्तुत किया गया है ।

8. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार लेखा परीक्षा विभाग महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर से प्रश्नगत् राशि की वसूली प्रस्तावित किए जाने के कारण उपभोक्ता को प्रश्नगत देयक जारी किया गया था, परन्तु ऐसे प्रतिवेदन को फोरम के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने के कारण अन्तिम आदेश दिए जाने के पूर्व दिनांक 18.02.15 को यह आदेश दिया गया था कि अनावेदक ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करें । यह भी आदेश दिया गया था कि लेखाधिकारी, गुना द्वारा पत्र क्रमांक 638 दिनांक 24.05.2008 को जो पूरक ऊर्जा देयक जारी किया गया है उसे भी प्रस्तुत किया जावे, परन्तु उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनावेदक की ओर से उक्त निर्देश के अनुसरण में श्रीमती आर. चन्द्रशेखरन, उपलेखाकार (वाणिज्यिक–II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार, सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, म0प्र0 ग्वालियर का पत्र तथा पत्र के साथ फेक्चुयल स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, रायगढ़ के डी.जी.एम. द्वारा सत्यापित है । उक्त दस्तावेज दिनांक 20.02.15 को अनावेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार वलेचा तथा श्री एम.पी. सिंह, डी.ई. तथा श्री वाय.एस. रघुवंशी, डी.जी.एम. द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उक्त दस्तावेजों को पहचान के लिए पताका 'क' 'ख' से चिन्हित किया गया है ।

9. कार्यालय महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर से प्रेषित पत्र पताका 'क' तथा पताका 'ख' का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है कि महालेखाकार ने उपभोक्ता से प्रश्नगत राशि की वसूली का निर्देश दिया था, अपितु उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि लेखा परीक्षा करते समय उठाई गई आपत्तियों के संबंध में महालेखाकार ने जानकारी चाही थी, परन्तु अनावेदक

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में महालेखाकार को क्या जानकारी दी थी, का विवरण नहीं दिया गया है । केवल उठाई गई आपत्तियों के आधार पर वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना प्रश्नगत देयक जारी कर दिया गया है, अतः अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उठाई गई इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रश्नगत राशि की वसूली प्रस्तावित की गई थी ।

10. अनावेदक की ओर से प्रश्नगत देयक की वैधता की पुष्टि के लिए यह आधार लिया गया है कि उपभोक्ता ने विद्युत नियामक आयोग से 9000 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित करने की अनुमति ली थी तथा पूर्व से स्थापित डी.जी. सेट को आगे चालू रखने की अनुमति चाही थी, परन्तु आयोग द्वारा दी गई अनुमति दिनांक 14.05.2002 में वर्णित निहित शर्तों का उसने पालन नहीं किया था, इसी कारण उपभोक्ता को प्रश्नगत देयक जारी किया गया था ।

11. इस संबंध में आयोग द्वारा दी गई अनुमति दिनांक 14.05.2002 पर विचार किया जाना उचित होगा। आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अन्तर्वस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आयोग ने उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित डी.जी. सेट को चालू रखने की अनुमति देने के अतिरिक्त नवीन डी.जी. सेट स्थापित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि उपभोक्ता उपभोग की गई कुल विद्युत का 50 प्रतिशत अनावेदक से क्रय करेगा । ऐसा 9000 के.वी.ए. का नवीन डी.जी. सेट आदेश दिनांक के 2 वर्ष के अन्दर स्थापित किया जाएगा इसकी सूचना आयोग को, विद्युत निरीक्षक को तथा संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी को दी जाएगी ।

12. आयोग के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में मेरे समक्ष अनावेदक की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उपभोक्ता भले ही 9000 के.वी.ए. का नवीन डी.जी. सेट स्थापित न करें उसे आयोग की शर्तों के अनुसार 50 प्रतिशत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करना आवश्यक था, क्योंकि आयोग के आदेश में अनावेदक के परिसर में पूर्व से स्थापित डी.जी. सेट को चालू रखने की अनुमति भी दी गई थी ।

13. प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आयोग की अनुमति के अनुसरण में 9000 के.वी.ए. का नवीन डी.जी. सेट स्थापित न करने पर भी उपभोक्ता 50 प्रतिशत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करने के लिए बाध्य था। आयोग के प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.05.2002 की अन्तर्वस्तु का अवलोकन करने से इस तथ्य का समर्थन नहीं होता है कि उपभोक्ता पूर्व में स्थापित डी.जी. सेट को चालू रखने के कारण 50 प्रतिशत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करने के लिए उत्तरदाई था । इस तथ्य का समर्थन आयोग के आदेश का अवलोकन करने से ही हो जाता है । यदि नवीन डी.जी. सेट स्थापित किए बिना उपभोक्ता 50 प्रतिशत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करने के लिए उत्तरदाई ठहराया जाता उस स्थिति में आयोग के आदेश में इस तथ्य का

स्पष्ट उल्लेख होता कि आयोग के आदेश दिनांक से ही अनावेदक 50 प्रतिशत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करने के लिए उत्तरदाई होगा, जबकि आयोग ने जो शर्तें अधिरोपित की है उसमें इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि नवीन डी.जी. सेट आदेश दिनांक की 2 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा ऐसा डी.जी. सेट 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा डी.जी. सेट स्थापित करने की सूचना आयोग को, विद्युत निरीक्षक को तथा संबंधित कम्पनी की दी जाएगी ।

14. नवीन डी.जी. सेट स्थापित करने की सूचना संबंधित व्यक्तियों को देने का आशय यही था कि जैसे ही नवीन डी.जी. सेट स्थापित होने की सूचना प्राप्त होती है वैसे ही उपभोक्ता आयोग के आदेश में वर्णित शर्तों के परिधि में आ जाएगा । जब तक डी.जी. सेट स्थापित करने की सूचना उपभोक्ता द्वारा नहीं दी जाती तथा उसके परिसर में ऐसा डी.जी. सेट स्थापित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता तब तक उपभोक्ता आयोग के आदेश में वर्णित शर्तों की परिधि में नहीं आएगा ।

15. उपभोक्ता पूर्व में स्थापित डी.जी. सेट के लिए 50 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा अनावेदक से क्रय करने के लिए उत्तरदाई नहीं था, इस तथ्य का समर्थन कैप्टिव पॉवर नीति 2001 की कण्डिका 9 का अवलोकन करने से भी होता है । उक्त नीति की कण्डिका 9 के प्रावधानों के अनुसार कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत पर 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा विकास उपकरण विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ता से वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है । यदि आयोग का आशय उपभोक्ता के परिसर में पूर्व से स्थापित डी.जी. सेट से उत्पादित विद्युत का आशय कैप्टिव पॉवर नीति से होता तो आयोग का आदेश होते ही उक्त नीति की कण्डिका 9 के अनुसार उपभोक्ता से मासिक बिल के साथ विद्युत ऊर्जा विकास उपकर भी वसूल किया जाता । अनावेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि उसने या विद्युत मण्डल ने उपभोक्ता से विद्युत उपकर की वसूली की थी ।

16. कैप्टिव पॉवर नीति 2001 दिनांक 21 फरवरी, 2001 से प्रभावशील की गई थी । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 दिनांक 10 जून, 2003 से प्रभावशील किया गया । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत का कोई भी उपभोक्ता कैप्टिव उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं अर्थात् कैप्टिव पॉवर संयंत्र स्थापित करने के लिए उपभोक्ता को राज्य सरकार अथवा विद्युत नियामक आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । इसका आशय यह है कि विद्युत अधिनियम 2003 जो केन्द्र सरकार का अधिनियम है, के प्रभावशील होते ही मध्यप्रदेश सरकार की कैप्टिव पॉवर नीति 2003 के प्रावधान प्रभावशील नहीं रहेंगे ।

17. विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के बाद कैप्टिव पॉवर नीति 2001 के प्रावधान प्रभावशील नहीं होंगे उस स्थिति में आयोग द्वारा दी गई अनुमति दिनांक 14.05.2002 के प्रावधान लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगे, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा उक्त अवधि के अन्दर नवीन डी.जी. सेट स्थापित करना आवश्यक था तभी आयोग द्वारा दी गई शर्तें उस पर लागू होती परन्तु उक्त अवधि में उपभोक्ता ने नवीन डी.जी. सेट स्थापित किया था इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कुछ समय के लिए यदि इस तर्क को मान लिया जाए कि आयोग के आदेश दिनांक से ही उपभोक्ता 50 प्रतिशत विद्युत क्रय करने के लिए उत्तरदाई था उस स्थिति में उपभोक्ता को इस 1 वर्ष की अवधि के लिए पूरक देयक जारी किया जाना चाहिए था न कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर अक्टूबर 2002 से अक्टूबर 2006 की अवधि के लिए ।

18. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा अनावेदक कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण करने पर उच्च दाब उपभोक्ता मेसर्स गेल इण्डिया, विजयपुर के संबंध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अनुमति दिनांक 14.05.2002 के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां की गई थी वह आपत्तियां संबंधित पक्षकारों पर प्रभावशील विधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी, अपितु केवल तथ्यों पर आधारित थी । ऐसी आपत्तियां प्राप्त होने पर अनावेदक कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारियों का यह दायित्व था कि वह भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते तथा पक्षकारों पर प्रभावशील विधि के परिप्रेक्ष्य में उनका निराकरण करते, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के ऐसे अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी । उनके द्वारा इस तथ्य का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि अनावेदक ने 9000 के.वी.ए. का नवीन डी.जी. सेट स्थापित किया है अथवा नहीं ? उन्होंने इस तथ्य का पता लगाने की भी कोई कोशिश नहीं की थी कि कैप्टिव पॉवर नीति की कण्डिका 9 के अनुसार उपकर वसूल किया गया है कि नहीं । उन्होंने इस बात की भी जानकारी प्राप्त नहीं की थी कि नवीन डी.जी. सेट स्थापित करने की सूचना आयोग को या विद्युत निरीक्षक को दी गई है अथवा नहीं ? और यदि सूचना दिए बिना ऐसा डी.जी. सेट स्थापित किया है तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकती है ? । अधिकारियों ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि कैप्टिव पॉवर नीति कब तक प्रभावशील थी और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के बाद आयोग द्वारा दी गई अनुमति दिनांक 14.05.2002 का क्या प्रभाव होगा ? अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण न करते हुए मात्र उपभोक्ता

को प्रश्नगत देयक जारी कर अपने कर्तव्य को पूर्णतः प्रदान की थी, जबकि देयक जारी करने के पूर्व भौतिक तथ्यों का परीक्षण किया जाना तथा उपभोक्ता को सुना जाना आवश्यक था ।

19. विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता को नवीन डी.जी. सेट दिनांक 14.05.2002 को स्थापित करने की जो अनुमति दी थी उस अनुमति की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित पूर्व के डी.जी. सेटों के आधार पर उपभोक्ता को अनावेदक से कुल आवश्यकता के 50 प्रतिशत की ऊर्जा अनावेदक से क्रय करना आवश्यक नहीं था । आयोग द्वारा आदेश में लिखित शर्तों का आशय यही था कि जब आवेदक नवीन डी.जी. सेट स्थापित करेगा उस समय से कुल मांग का 50 प्रतिशत ऊर्जा वह अनावेदक से क्रय करने के लिए बाध्य होगा । इस मामले में अनावेदक द्वारा 9000 के.वी.ए. का नया डी.जी. सेट स्थापित करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है । कैप्टिव पावर नीति 2001 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से उपकर भी वसूल किया जाना साबित नहीं होता है, अतः महालेखाकार द्वारा जो आपत्ति उठाई गई थी मात्र उसके आधार पर उपभोक्ता को जो पूरक ऊर्जा देयक जारी किया गया था उसे किसी तरह से विधिसंगत होना नहीं पाया जाता है, अतः उक्त देयक में वर्णित राशि को अनावेदक उपभोक्ता से वसूल पाने के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं ।

20. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है । उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए आदेश को अपास्त किया जाता है ।

21. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल